उपखण्ड अधिकारी
शिव

पत्रावली पेष हुई।

उभय पक्ष अधिवकता उप0।

उभय पक्ष अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त कथन यह है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 159, 161 रकबा क्रमशः 50.19, 97.18 बीघा ग्राम शिव तहसील षिव जिला बाडमेर में आये हुए है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 04 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 158, 162 रकबा क्रमशः 50.12, 69.05 बीघा भी इसी ग्राम मे आये हुए है। प्रार्थी ने विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो में से अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु कई वर्षो से रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत एवं जोत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, काश्त के समय प्रार्थी की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी भूमि पर काष्त कर लेते है, जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न होती है एवं हर बार रास्ते को लेकर पक्षकारान के मध्य विरोध होता है जिससे पक्षकारान के मध्य झगडा होने की सम्भावना रहती है। प्रार्थी ने जो रास्ता बरंग लाल से दर्शाया है वह विप्रार्थी संख्या 1 से 04 की खातेदारी भूमि है जिससे आगे सरकारी खसरा नम्बर 172 व उससे आगे शिव से गडरा जाने वाली सडक स्थित है तथा उक्त सड़क से प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु मार्ग की आंत्यान्तिक आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव मे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु मार्ग की रूकावट पैदा होती है। प्रार्थी रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु ही करेगें, इस संबंध में प्रार्थी रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं करेगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थी संख्या 1 से 04 के खेत खसरा नम्बर 158, 162 रकबा क्रमशः 50.12, 69.05 बीघा ग्राम शिव, तह0 शिव की भूमि मे से बंरग लाल दर्षाये अनुसार रास्ता दिलवाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 04 की ओर से वकील ब्रजमोहन कुमावत उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 04 की ओर से जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

विप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी हम विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 158, 162 में पिछले 30 वर्षे से रास्ते का उपयोग नही कर रहे है, प्रार्थी अपने खातेदारी खेत मे कभी काश्त करने आता है तो भी हमने नही देखा एवं प्रार्थी हम विप्रार्थीगण के खेत के सेढे पर से या खेत में से होकर नहीं गुजरता है इसलिये प्रार्थी ने हम विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे से रास्ते की मांग गलत की है साथ ही प्रार्थी ने जो नजरी नक्शा पेश किया है वह बिलकुल गलत रूप से बनाया हैं प्रार्थी को सडक/कटाण मार्ग तक आने आने हेतु सेढा पर अन्य जगह से सीधा सरल एवं सुगम रास्ता उपलब्ध होते हुए भी विप्रार्थीगण के खेत मे से गलत रास्ते की मांग कर रहे है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 159, 160 के एकदम सेढा पर सरहद मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 515 की सम्पूर्ण सरकारी भूमि मौके पर पूर्णतया खाली भूमि उपलब्ध पडी है जो सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग सं 15 पर व कटाण मार्ग मे जाकर मिलती है। प्रार्थी ने रास्ते हेतु जो डिमार्केषन किया है वह गलत किया है क्योंकि धारा 251ए के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि किसी जोत मे जाने आने के लिऐ सुविधा जनक उपभोग नही देखा जायेगा तथा अन्य खातेदार की जोत मे से होकर प्रार्थी विशिष्ट रूप से नये मार्ग खुलवाने के मामले मे उक्त खेत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। किन्तु प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में इस धारा 251ए के प्रयोजन को सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहा है प्रार्थी ने जहा से रास्ते की मांग की है वह विधिसम्मत नही है क्यो कि शिव से गडरा जाने वाली सडक से लगता हुआ सरकारी खसरा नही होकर ग्राम शिव के खसरा नम्बर 172 नाडी का आगौर है। नाडी के आगौर में किसी भी प्रकार से रास्ता कटाण करने पर रोक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी डिमाकेषन किये हुऐ स्थान से रास्ता खुलवाने ने हकदार नही है तथा प्रार्थी मौके पर कभी भी विप्रार्थीगण के खेत से होकर अपने खेत मे नही गया तथा नही मौजूदा समय विप्रार्थी के खेत से होकर आवागमन का कोई रास्ता प्रार्थी के खेत तक जाता हो। प्रार्थी पिछले कई वर्षो से खसरा नम्बर 155, 156 व 157 मे से होकर अवागमन करता है। जहा मौजूदा समय मे मौके पर रास्ता चलाये मान है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र विप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

1 से 4 को नाहक परेशान करने की नियत से पेश किया है जो तथ्यो से परे होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

हमने प्रकरण में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 159, 161 रकबा क्रमशः 50.19, 97.18 बीघा ग्राम शिव तहसील शिव जिला बाडमेर में आये हुए है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 04 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 158, 162 रकबा क्रमशः 50.12, 69.05 बीघा भी इसी ग्राम मे आये हुए है। प्रार्थी ने विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो में से अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु कई वर्षो से रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत एवं जोत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर लाने ले जाने व पानी की टंकी लाने में परेशानी होती है इसलिए बरंग लाल में दर्षित स्थान पर रास्ता खुलवाया जावे। अतः विप्रार्थी द्वारा की गई उक्त आपति को खारीज किया जाकर। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 1 से 04 के खेत खसरा नम्बर 158, 162 रकबा क्रमशः 50.12, 69.05 बीघा ग्राम षिव, तह0 शिव की भूमि मे से तहसीलदार शिव द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ट्रेस में मार्क सी से डी बंरग लाल डॉट से दर्शाये अनुसार रास्ता दिलवाया जावें।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी हम विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 158, 162 में से पिछले 30 वर्षे से रास्ते का उपयोग लेने का कथन झुठा बताया है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत मे कभी काश्त करने आता है तो भी हमने नही देखा एवं प्रार्थी हम विप्रार्थीगण के खेत के सेढे पर से या खेत में से होकर नही गुजरता है इसलीये प्रार्थी ने हम विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे से रास्ते की मांग गलत की है साथ ही प्रार्थी ने जो नजरी नक्षा पेश किया है वह बिलकुल गलत रूप से बनाया हैं।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार शिव द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। इस सन्दर्भ मे धारा 251ए का वर्णन अवाष्यक रहेगा।

251कः– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना –(1) जहां

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारीयो का समुह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन का सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि :–

1. यह आवष्यकता आत्यातिक आवष्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और
2. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विषिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेष द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्षित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपालाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्षाया जाये भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्षित नही किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमे से होकर पाइपलाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जावे, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

तहसीलदार शिव द्वारा तैयार कि गई मौका रिपोर्ट में अत्यान्तिक आवश्यकता और अन्यत्र रास्तो का अभाव सिद्व नही हो पाया है और नही प्रार्थीगण यह सिद्व कर पाये है।

दिनांक 31.03.2016 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय मे वर्णन है कि स्वीकृत रास्ता मुख्य सडक मे से नही मिलता है। दिनांक 02.01.2017 मे प्राप्त माका फर्द एवं संलग्न नक्शे के आधार पर स्पष्ट है कि रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ता भी मुख्य सडक से नही मिल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

लिहाजा प्रार्थी की और से प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 251ए का आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 21/10/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:29:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: